

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/विविध/पदस्थापन/अलेसे II/548

दिनांक:- 05/05/25

परिपत्र.

वित्त राजस्व (ग्रुप-1) विभाग द्वारा दिनांक 29.12.2024 को जारी अधिसूचनाओं के द्वारा विभिन्न जिलों को समाप्त करने के कारण विभागीय आदेश संख्या एफ.5/बजट/कोष सृजन/2023/6328 दिनांक 23.01.2025 के द्वारा कोष कार्यालयों में नवसृजित लेखा संवर्ग के पद समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप जो कार्मिक अधिशेष हो गए थे, उनका वेतन आहरण नहीं हो पाया था। उन कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अधिशेष अवधि का उपस्थिति प्रमाण पत्र, कार्यमुक्ति आदेश, कार्यग्रहण आदेश, वेतन आहरण किये जाने वाली अवधि का विवरण आदि प्रार्थना पत्र के साथ अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के माध्यम से निदेशालय में प्रस्तुत करावे जिससे उनके वेतन आहरण के संबंध में कार्मिक की निजी पत्रावली पर निर्णय लिया जा सके।

8

39

2

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/विविध/पदस्थापन/अलेसे II/548

दिनांक:- 05/05/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष .....
2. संबंधित कोषाधिकारी .....
3. संबंधित .....सलेअ-1/सलेअ-11/क.ले. ....
4. रक्षित पत्रावली।

400000

(श्रीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-11/111)